



सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 2(7)परावि/प्रशा.1/आर.आर.डी.एस-2010/संस्था/2012/2459 जयपुर दिनांक:- 23.11.2015

—:आदेश:—

श्री मकखनलाल जांगिड, RRDS, विकास अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड का चयन राजस्थान प्रशासनिक एवं अधिनस्थ सेवा परीक्षा-2012 के अन्तर्गत राजस्थान परिवहन सेवा में होने के फलस्वरूप परिवहन विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(54)परि/स्था./99/30473 दिनांक 18.11.2015 की पालना में दिनांक 26.11.2015 को परिवहन विभाग में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया जाने हेतु लिखा जाने के क्रम में श्री जांगिड को परिवहन विभाग के उक्त आदेशों के क्रम में दिनांक 25.11.15 को मध्याह्न पश्चात विभाग से कार्यमुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे अपनी उपस्थिति दिनांक 26.11.2015 को पूर्वान्ह में आवश्यक रूप से परिवहन विभाग में प्रस्तुत करें, अन्यथा राज्यादेशों की अवहेलना मानी जावेगी।

(गिरीश पासाशर)

शासन उप सचिव (प्रशा.1)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवम् आयुक्त पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, आयुक्त, महानरेगा, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त परिवहन विभाग को प्रेषित कर लेख है कि श्री जांगिड द्वारा विभाग में दिनांक 28.12.2011 को कार्यग्रहण किया गया था लेकिन इनके विरुद्ध कार्मिक विभाग में सीसीए नियम 16 के अन्तर्गत कार्यवाही लम्बित होने के कारण इनका सेवा में स्थायीकरण नहीं किया गया है।
7. संभागीय आयुक्त कोटा।
8. जिला कलेक्टर झालावाड।
9. अति./मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद झालावाड।
10. विकास अधिकारी पंचायत समिति झालरापाटन जिला झालावाड।
11. सम्बन्धित अधिकारी को पालनार्थ।
12. प्रोग्रामर मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेशों को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
13. संबंधित अधिकारी।
14. आदेश पत्रावली।

(गिरीश पासाशर)

शासन उप सचिव (प्रशा-1)